>

Title: Need to enact law for compulsory voting in the country.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज अत्यंत महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय पर इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजादी मिली और 26 जनवरी 1950 को इस देश का गणतंत्र लागू हुआ। 60वीं गणतंत्र के बाद भी, उस गणतंत्र में भारत के प्रत्येक बालिग आदमी को वोट का राइट दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वोट का अधिकार तो रानी और मेहतरानी को बराबर का दिया गया, इलेक्शन कमीशन के बहुत प्रयास के बाद भी, जनप्रतिनिधियों के बहुत प्रयास के बाद भी, लोग वोट के अधिकार के महत्व को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। वोट का प्रतिशत लगातार घट रहा है। जनप्रतिनिधि जब भी चुनाव लड़ने जाता है, जनता से अपील करता है कि 100 प्रतिशत लोग वोटिंग करें। चुनाव आयोग भी उसके लिए तमाम तरीके से एडवर्टीजमेंट करके, अखबारों में छपवाकर, टीवी के माध्यम से वोट के प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन आज भी, गणतंत्र बनने के 60 वर्षों बाद भी शहरों में 25 से 30 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 40 से 45 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग नहीं हो रही है। आज 40 प्रतिशत वोटिंग में अगर चार जगह वोट बंटते हैं, तो जिसको 11 प्रतिशत वोट मिल जाते हैं, वह प्रदेश और देश में बहुमत पा जाता है। इस बात से पूरा सदन सहमत होगा कि वोट का परसेंटेज बढ़े, वोटर को जवाबदेह बनाया जाए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। जिस देश में 100 में 40 प्रतिशत वोट पड़ता हो, 11 प्रतिशत वोट से सरकारें बनती हों, उस देश का लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने, इस देश को आजादी दिलाने वाले नेताओं ने एक सपना देखा था कि आजाद भारत में हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, अब कोई भूखा नहीं सोएगा, अब कोई नंगा नहीं घूमेगा, अब कोई फुटपाथ पर नहीं सोएगा, अब कोई दवा के अभाव में नहीं मरेगा, अब कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, अब कोई असुरक्षित महसूस नहीं करेगा, लेकिन लाख प्रयासों के बावजूद हम भुखमरी को खत्म नहीं कर पाए हैं। लाखों प्रयासों के बाद भी हम बेरोजगारी को दूर नहीं कर पाए हैं, गरीबी को नहीं मिटा पाए हैं और लोकतंत्र लगातार कमजोर हो रहा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you have made your point.

श्री राजाराम पाल : महोदय, इससे ज्यादा लोक महत्व का सवाल दूसरा नहीं हो सकता है। आप भी उस परेशानी से जूझते हैं। मैं यह चाहता हूं कि इस सम्मानित सदन से 14वीं लोक सभा के 110 सांसदों ने एक सुझाव लोक सभा स्पीकर के सामने रखा था।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: This is not a debate. Please make your point and wind up.

श्री राजाराम पाल : मैं कहना चाहता हूं कि सकल घरेलू उत्पाद से, नेशनल इनकम से इस वोटर को वोटर इंसेंटिव या वोटर पेंशन या न्यूनतम गुजारा भत्ता, आप उसे चाहे जो नाम दे दें, ऐसा कोई प्रावधान कर दिया जाए। इस सदन से पारित वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मिड डे मील योजना, शादी अनुदान, कन्याधन, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार गारंटी योजना, निर्बल आवास आदि तमाम स्कीमें हैं, उनको बंद करके अगर वोटर पेंशन जैसा कानून बनाया जाए, तो वोट का प्रतिशत 100 प्रतिशत हो जाएगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, लोग जवाबदेह होंगे। ऐसी मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।